

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2242

09.12.2024 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों द्वारा हमले के कारण फसलों को नुकसान

2242. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में वन्य जीवों द्वारा किसानों की फसलों को हुए नुकसान का कोई आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा वन्य जीवों से फसलों की रक्षा करने के लिए कुछ अन्य निवारक उपाय भी किए गए हैं; और
- (घ) क्या ऐसे जानवरों को बड़ी संख्या में पकड़ने और उन्हें संरक्षित वनों में स्थानांतरित करने की सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) और (ख): मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन सहित वन्यजीवों का संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी होती है। जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान का ब्यौरा मंत्रालय में एकत्र नहीं किया जाता है।
- (ग) और (घ): वन्यजीवों की सुरक्षा तथा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i. देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' की केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इसमें मवेशियों को उठाने, फसल को नुकसान पहुंचाने, जान-माल की हानि सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए उत्पात के लिए मुआवजा शामिल है।
 - ii. इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ जंगली जानवरों को फसल के खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तार की

बाड़, सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बाड़, कैक्टस का उपयोग करके जैविक बाड़, चारदीवारी, आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण/स्थापना शामिल है; वन क्षेत्रों में भोजन और पानी की उपलब्धता बढ़ाकर जंगली जानवरों के वन्यजीव पर्यावास में सुधार करना ताकि जंगलों से जानवरों का मानव आवासों में प्रवेश कम हो और समस्याग्रस्त जानवरों को भगाने के लिए लूट-विरोधी दस्तों की स्थापना की जा सके। राज्य सरकारें जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने स्वयं के कोष से भी राहत प्रदान करती हैं।

- iii. मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान जंगली जानवरों के हमलों के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अशक्तता के मामले में अनुग्रह राहत की राशि बढ़ा दी है। वर्तमान में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट' के तहत देय अनुग्रह राहत की राशि इस प्रकार है:

| क्र.सं. | वन्यजीवों द्वारा पहुँचाई गई क्षति की प्रकृति | अनुग्रह राहत की राशि |
|---------|--|--|
| i. | मृत्यु या स्थायी अशक्तता | रु.10.00 लाख |
| ii. | गंभीर चोट | रु.2.00 लाख |
| iii. | मामूली चोट | प्रति व्यक्ति उपचार की लागत, रु.25,000/- तक |
| iv. | संपत्ति/फसल का नुकसान | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार उनके द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती हैं। |

- iv. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मुख्य वन्य जीव संरक्षक को वन्यजीवों के वैज्ञानिक प्रबंधन के हिस्से के रूप में जंगली जानवरों को पकड़ने और उन्हें वैकल्पिक उपयुक्त पर्यावासों में स्थानांतरित करने का अधिकार प्रदान करता है।
